रजिस्टर्ड ए.डी

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.4 (ई)/आरटीआई/अलेसे –III/ दिनांक :–

1 श्री इन्द्र लाल सांखला,
पुत्र श्री फाउलाल,
बेरा हेमजी का रेतिया,
जैतारणिया गेट के बाहर,
सोजतसिटी (पाली)

2 श्री इन्द्र लाल सांखला,
कनिष्ठ लेखाकार
कार्यालय–निदेशालय कोष एवं लेखा

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।

प्रसंगः– आपका आवेदन दिनांक 24-10-2011 निदेशालय मे प्राप्ति दिनांक 31-10-2011

आपके द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 24-10-2011 (निदेशालय मे प्राप्त दिनांक 31-10-2011) मे बिन्दुवार सूचना मांगी गयी है। मांगी गई सूचना का विवरण निम्न प्रकार है:–

बि.सं.	चाही गई सूचना	सूचना का विवरण
1-	श्री के0सी0 टेलर के निदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण करने से नकल दिनांक तक कितने कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकारों एवं AAO को उनके D.E. (विभागीय जांच के आधार पर भेदभाव करके उन्हें कौनसे विभाग से वंचित किया गया ?) इनकी कुल नामों व कार्यालयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां 5-5 प्रमाणित प्रतियां।	निदेशक कोष एवं लेखा के स्तर पर पदस्थापन की कार्यवाई मे कोई भेद–भाव नहीं किया जाता है। कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी के स्थानान्तरण व राज्य सरकार के निर्धारित नीति के अनुसार किये जाते है। अतः इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं है।
2-	निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर की स्थापना से अब तक कितने कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकारों AAO व A.O को उनकी विभागीय जांच D.E. के आधार पर वंचित किया गया ? उन सबके नाम व तत्कालीन कार्यालयो की सूचियां, अब तक की पत्रावलियां, अब तक के संधारित रजिस्टर व कम्प्यूटर C.D. इत्यादि की 5-5 प्रतियां।	विभागीय जांच के आधार पर "वंचित" किया गया है। किस से वंचित किया गया है एवं क्या रिकॉर्ड चाहिए, चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं है।
3-	वर्तमान मे कितने कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकारों AAO व A.O के विभागीय जांच चल रही है एवं वे वर्तमान मे कौनसे राजकीय विभागों मे सेवारत है ? की सूचियो की 5-5 प्रतियां।	कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकार एवं AAO से संबंधित विभागीय जांच संबंधी संधारित रजिस्टर की प्रतियां हेतु पृष्ठ–152 के लिए 304 रूपये देय है। AO के संबंध मे सूचना वित्त विभाग से संबंधित है। अतः सूचना सीधे प्राप्त करें।

4-	श्री के0सी0 टेलर के सेवाभिलेख एवं निजी पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां 5-5 प्रमाणित प्रतियां।	सूचना वित्त (राजस्व) विभाग से संबंधित होने के कारण सूचना सीधे ही प्राप्त करें।
5-	विभागीय जांच चलने के आधार पर कैसी विभागीय जांच करने वाले को कैसा विभाग नही दिया जाता है। इसके प्रावधानों, नियमों, उप नियमों, कानून, उप कानूनों, सिद्धान्तों की प्रमाणित प्रतिलिपियां 5-5 प्रमाणित प्रतियां।	लेखाकर्मियो के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार की किये जाते है। स्थानान्तरण नीति की प्रतियां हेतु पृष्ठ–5 के लिए 10 रूपये देय है।
6-	श्री के0सी0 टेलर, निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा के पदेन ज्ञान के अनुसार सम्पूर्ण लेखाकर्मियों एवं लेखा अधिकारियों के विरूद्ध चलने वाली विभागीय जांचों को किनते भागों मे ? कितनी श्रेणियों मे ? कितनी केटेगरी मे ? कितने रैगों मे ? कितने स्तरों (Level) मे ? कितने भेदभावों मे बांटी गई है ? इन सबकी 5-5 प्रमाणित प्रतिलिपियां।	पदेन ज्ञान के आधार पर इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है।
7-	निदेशालय कोष एवं लेखा मे श्री के0सी0 टेलर, निदेशक के कार्यालय मे लेखा संवर्ग के सभी वर्गों कनिष्ट लेखाकार, लेखाकारों, AAO व A.O. के ट्रांसफर चाहने हेतु प्रार्थना पत्र आए हुए है ? और कितने निवेदकों के प्रपोजल बनाकर वित्त (राजस्व) विभाग को भिजवाएं जा चुके है ? इनकी 5-5 सूचियां (प्रमाणित प्रतिलिपियां)। विशेष पीड़ितो के भेजे गए प्रपोजलों की 5 सूचियां।	कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकारों एवं AAO द्वारा स्थानान्तरण हेतु जो आवेदन पत्र इस निदेशालय मे प्राप्त होते है उनका निस्तारण प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए स्थानान्तरण नीति/राज्य सरकार के समय–समय पर जारी निर्देशो के अनुसार किया जाता है। AO के संबंध मे सूचना वित्त विभाग से संबंधित है। अतः सूचना सीधे प्राप्त करें।

आपके द्वारा सूचना 5-5 प्रतियो मे मांगी गयी है। आपकी सूचना एक प्रति मे उपलब्ध कराई जायेगी तथा तदानुसार उक्त विवरण के अनुसार एक प्रति की राशि 157 पृष्ठों के लिए 314/–रूपये नकद/पोस्टल ऑडर/मनी ऑडर/बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशालय मे जमा करावे जिससे वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

यदि आप प्राप्त सूचना/सूचनाओ से संतुष्ट नही है, तो 30 दिवस की अवधि मे प्रथम अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त एवं योजना विभाग) शासन सचिवालय, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है।

लोकसूचना अधिकारी
एवं
निदेशक कोष एवं लेखा
दिनांक :– 25-11-2011

क्रमांक एफ.4 (ई)/आरटीआई/अलेसे –III/ 9077
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
2- कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा वित्त भवन को वेबसाईट पर डालने हेतु।
3- नोटिस बोर्ड, कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा।

लोकसूचना अधिकारी
एवं
निदेशक कोष एवं लेखा